ए.

गोस्तो बिहारी दास

वी.

दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील No.4725)

बी.

28 जुलाई, 2023

[बी**.** आर**.** गवई और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]**

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971:एसएस।2, 12 – न्यायालय की अवमानना-इसके लिए दंड-अपीलार्थी ने अनधिकृत रूप से एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जिसने नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं को विचलित कर दिया-विध्वंस आदेश पारित किया गया, हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया-अपीलार्थी के खिलाफ अवमानना याचिका-अपीलार्थी के चिकित्सा का अभ्यास करने के लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया-अपील पर कहा गया:1971 के अधिनियम के तहत लाइसेंस के निलंबन की सजा नहीं दी जा सकी-दुराचार के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को दंडित करने की शक्ति विशेष रूप से 1956 के अधिनियम और 2019 के अधिनियम के तहत परिकल्पित निकाय के साथ है-अवमानना करने वाले को दी गई सजा पूरी तरह से अधिनियम के लिए विदेशी है, इस प्रकार, टिकाऊ नहीं है-इस तरह की सजा देने में अदालत ने 1971 के अधिनियम के वैधानिक पाठ की पूरी तरह से अवहेलना की-अदालत के नीचे दिए गए निर्णय और आदेश-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 को पुनर्जीवित करने के लिए अपीलकर्ता का लाइसेंस।

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम**, 2019** के प्रावधानों के साथ**-**साथ अब निरस्त**,** चिकित्सा परिषद अधिनियम**, 1956** के अवलोकन से पता चलता है कि "दुराचार" के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को दंडित करने की शक्ति विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत परिकल्पित निकाय के पास है। यह अधिनियम स्वयं पेशेवर कदाचार के लिए एक पंजीकृत व्यवसायी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए एक विस्तृत**,** पूर्ण तंत्र प्रदान करता है।जांच करने और इसका पालन करने के बाद भी ऐसा ही किया जा सकता है

एफ.

जी.

ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत।**[**पैरा **8] [1178-**सी**]**

1.2 अवमानकर्ता को दी गई सजा अदालत की अवमानना अधिनियम **1971** के लिए पूरी तरह से विदेशी है और इस प्रकार**,**

एच.

1174

1175

गोस्तो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस।

अस्थिर।न्यायालय ने इस तरह की सजा देने में **1971** के अधिनियम के वैधानिक पाठ की पूरी तरह से अवहेलना की**,** जो इसके तहत दी जा सकने वाली सजा के संबंध में बहुत स्पष्ट है।**[**पैरा **20] [1182-**डी**]**

1.3 न्यायालय की अवमानना का दोषी एक चिकित्सक पेशेवर कदाचार के लिए भी दोषी हो सकता है**,** लेकिन यह व्यक्ति के अवमाननापूर्ण आचरण की गंभीरता/प्रकृति पर निर्भर करेगा।हालाँकि**,** वे अपराध एक**-**दूसरे से अलग और अलग हैं।पहला **1971** के अधिनियम द्वारा विनियमित है और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम**, 2019** के अधिकार क्षेत्र में है।**[**पैरा **21] [1182-**ई**]**

बी.

सी.

1.4 खंड पीठ ने विवादित फैसले में इस मुद्दे पर विचार या चर्चा नहीं की और न ही एकल न्यायाधीश द्वारा विषय की अवमानना की कार्यवाही में कोई अंतिम निर्णय लिया गया। निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है।चिकित्सा का अभ्यास करने के

लिए अपीलार्थी का लाइसेंस पुनर्जीवित किया जाता है।**[**पारस **22** और **25] [1182-**एफ**; 1183-**बी**]**

डी.

1.5 अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि संबंधित भवन के पिछले हिस्से में लगभग **250** मिमी के अपवाद के साथ आवश्यक विध्वंस किया गया है**,** क्योंकि इसे हटाने से कानूनी रूप से निर्मित भवन असुरक्षित हो जाता।बचे हुए अनधिकृत निर्माण के संबंध में**,** संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष एक वचन प्रस्तुत किया जाए कि मौजूदा भवन की मजबूती की रक्षा के लिए उपचारात्मक निर्माण और इसके परिणामस्वरूप अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का काम उचित समय के भीतर पूरा किया जाएगा।**[**पैरा **24] [1182-**जी**-**एच**; 1183-**ए**]**

ई.

एफ.

परशुराम डेटाराम शामदासानी बनाम सम्राट **1945** ए**.** सी**. 264;** सी**.** एस**.** कर्णन**,** पुनः **(2017) 7** एस**.** सी**.** सी**. 1;** बरदकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक **(1974) 1** एस**.** सी**.** सी**. 374:[1974] 2** एससीआर **282;** डब्ल्यू**.** बी**.** प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाम एस**.** के**.** मोनोबोर हुसैन **(2012) 11** एस**.** सी**.** सी**. 761;** प्रशांत

जी.

भूषण, पुनः (2021) 3 एस. सी. सी. 160:[2020] 8 एससीआर 510;

महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम एम**.** वी**.** दाभोलकर **(1975)**

2 एससीसी **702:[1976] 1** एस**.** सी**.** आर**. 303-**संदर्भित।

एच.

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2017) 7 एससीसी **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[1974] 2 एससीआर **282**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

(2012) 11 एस**.** सी**.** सी**. 761**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

बी.

[2020] 8 एससीआर **510**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[1976] 1 एस**.** सी**.** आर**. 303**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 4725।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.07.2022 के निर्णय और आदेश से, 2022 के MAT संख्या 67 में जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच।

सी.

यशवंत सिंह, सुश्री दीक्षा त्रिपाठी, हर्षित गोयल, आशीष कुमार पांडे, सुश्री खेयाली सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अन्वेषा साहा, देबोरशी धर, सलीम अंसारी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय करोल**,** जे।

अनुमति दी गई

इस न्यायालय को जिस प्रश्न पर विचार करना चाहिए, वह हैः–

ई.

“क्या चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए याचिकाकर्ता के लाइसेंस का निलंबन अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत निर्दिष्ट सजा और दंड की प्रकृति और प्रकारों के लिए अलग है?”

तथ्य

एफ.

1. वर्तमान अपील 2022 के एम. ए. टी. संख्या 67 में कलकत्ता उच्च न्यायालय (जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच) द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा इसने 2022 की संख्या डब्ल्यू. पी. सी. आर. सी. 9 वाली अवमानना कार्यवाही में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5,11,12 और 14 जुलाई, 2022 को पारित विभिन्न आदेशों को बरकरार रखा, जिसके तहत 11 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता/अपीलार्थी का चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

जी.

2. 14 जुलाई 2022 के आदेश के साथ, निलंबन की अवधि को 19 अगस्त 2022 तक बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता से कारण बताने के लिए कहा गया था कि इस तरह के निलंबन को दो साल की अवधि के लिए क्यों प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

एच.

1177

गोस्तो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस। [संजय करोल, जे।] ए.

ए.

3. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी ने अनधिकृत रूप से एक संरचना का निर्माण किया था जो सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के साथ विचलन में था।1 प्रत्यर्थी संख्या 1 (निजी पक्ष) ने इस तरह के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।एस. एम. सी. 2 के आयुक्त और एस. एम. सी. 3 के गैर-हस्तक्षेप से असंतुष्ट अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।2016 के डब्ल्यू. पी. संख्या 11464 (डब्ल्यू) में पारित 22 दिसंबर 2016 के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 3 को इस तरह से निर्माण करने, निरीक्षण करने और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई की अगली तारीख, यानी 19 दिसंबर 2017 को यह निर्देश दिया गया कि 2 अगस्त 2007 को नगर निगम के समक्ष पहले से दायर किए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जाए और उस पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाए।

बी.

सी.

4. उपरोक्त निर्देश के अनुसार, 13 जून 2018 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थीगण संख्या 3 को अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।हालाँकि, इस आदेश को उच्च न्यायालय ने आयुक्त एस. एम. सी. को सक्षम प्राधिकारी नहीं होने और इसके बजाय केवल एस. एम. सी. के पार्षदों के बोर्ड को देखते हुए रद्द कर दिया, जो विध्वंस के आदेश पारित कर सकते थे।इसके बाद, 25 जून 2019 के एक नए आदेश के माध्यम से एस. एम. सी. के पार्षदों के मंडल ने निर्माण को अनधिकृत मानते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया।इसे आगे बढ़ाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 3 अगस्त 2019 को एक आदेश पारित किया जिसमें विध्वंस करने का निर्देश दिया गया।

डी.

ई.

5. इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता (इसमें अपीलकर्ता) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें संख्या 349/2019 थी। इसका निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि 25 जून 2019 के आदेश की एक अपील, प्रधान सचिव, शहरी विकास और नगरपालिका मामले, पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष रखी गई है।उक्त प्राधिकरण ने 8 जनवरी 2020 और 28 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर एस. एम. सी. को याचिकाकर्ता को अनधिकृत निर्माण के स्व-विध्वंस में सहायता करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया और ऐसा करने में उसकी विफलता की स्थिति में निर्देश दिया कि एस. एम. सी. स्वयं ऐसा करने के लिए ऐसे कदम उठाए।

एफ.

जी.

6. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2019 के डब्ल्यू. पी. ए. संख्या 349 में अवमानना याचिका दायर की।यही कारण है कि इसमें अपीलार्थी का चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

1 इसके बाद, "एसएमसी"

2 इसके बाद, प्रत्यर्थीगण संख्या 2 3 इसके बाद, प्रत्यर्थीगण संख्या 3

एच.

हाथ में मुद्दे पर कानून बनाएँ

7. चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस का अनुदान, विनियमन और निलंबन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा नियंत्रित है।यह भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं के संबंध में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है।राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नामक एक सांविधिक निकाय उपर्युक्त गतिविधियों की देखभाल करता है।

बी.

8. इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ अब निरस्त किए गए चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अवलोकन से पता चलता है कि "दुराचार" के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को दंडित करने की शक्ति विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत परिकल्पित निकाय के पास है। यह अधिनियम स्वयं पेशेवर कदाचार के लिए एक पंजीकृत व्यवसायी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए एक विस्तृत, पूर्ण तंत्र प्रदान करता है।जांच करने और ऑडी अल्टरम के सिद्धांतों का पालन करने के बाद भी ऐसा किया जा सकता है।

सी.

भाग लेते हैं।

डी.

9. तत्काल विवाद में यह सवाल शामिल है कि क्या इस तरह की सजा अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दी जा सकती है।

10. अधिनियम में धारा 2 (ए) के तहत अदालत की अवमानना को परिभाषित किया गया हैः“2(ए)।“न्यायालय की अवमानना का अर्थ है नागरिक अवमानना या आपराधिक अवमानना।

ई.

11. दीवानी अवमानना, जिसके साथ वर्तमान मामला संबंधित है, को धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः

“2(बी)।“दीवानी अवमानना का अर्थ है किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

एफ.

12. अदालत की अवमानना के लिए सजा अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैः

“12. अदालत की अवमानना के लिए सजा।- (1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, अदालत की अवमानना को साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता हैः

जी.

4 इसके बाद 'अवमानना अधिनियम' ए के रूप में संदर्भित किया गया

एच.

1179

गोस्तो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस। [संजय करोल, जे।] ए.

बशर्ते कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या दी गई सजा को माफ किया जा सकता है या अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगी जा सकती है।

स्पष्टीकरण।- क्षमा याचना को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि यदि अभियुक्त ऐसा करता है तो वह योग्य या सशर्त है।

ईमानदारी से।

बी.

(2) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय अपने या अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किसी भी अवमानना के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सजा से अधिक सजा नहीं लगाएगा।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स "

सी.

13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रिवी काउंसिल के बाद से ही अवमानना की शक्ति का विवेकपूर्ण और मितव्ययी उपयोग स्वीकार किया गया है

प्रस्ताव।परशुराम डेटाराम शामदासानी बनाम सम्राट **5** में

परिषद ने कहा था-"अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की इस संक्षिप्त शक्ति का उपयोग संयम से और केवल गंभीर मामलों में किया जाना चाहिए।यह एक ऐसी शक्ति है जो

एक न्यायालय के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए; इसकी उपयोगिता उस विवेक और संयम पर निर्भर करती है जिसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है।

डी.

14. सी**.** एस**.** कर्णन मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य क्षेत्राधिकारों के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि

ई.

“63. अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा हमेशा प्राचीन काल से किया जाता रहा है [इस विषय से संबंधित सबसे शुरुआती कानूनी घोषणाओं में से एक में, न्यायमूर्ति विल्मोट ने आर. वी.एल्मन, 1765 विल्मोट के नोट्स 243:97 ई. आर. 94 ने अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के पीछे के दर्शन को समझाया।मार्ग अब एक क्लासिक प्रदर्शनी इस प्रकार है:(ई. आर. पी. 100) "और जब भी कानूनों के प्रति लोगों की निष्ठा को मौलिक रूप से हिलाया जाता है, तो यह न्याय में सबसे घातक और सबसे खतरनाक बाधा है, और मेरी राय में, किसी भी अन्य बाधा की तुलना में अधिक तेजी से और तत्काल निवारण का आह्वान करता है; न्यायाधीशों के लिए, निजी व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा राजा का न्याय लोगों तक पहुँचाया जाता है।”].इसके अस्तित्व का औचित्य व्यक्तिगत न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है ["14.

एफ.

जी.

5 1945 एसी 264 6 (2017) 7 एससीसी 1

एच.

अवमानना का कानून उन न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया है जो जनमत की हवाओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।न्यायाधीशों को धैर्यवान व्यक्ति माना जाता है, जो कठोर जलवायु में पनपने में सक्षम होते हैं।” [डगलस, जे., क्रेग बनाम हार्नी, 1947 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 79, पैरा 14:91 एल एड 1546:331 यू. एस. 367 पी.376 (1947)]] लेकिन न्यायपालिका की पवित्रता और प्रभावशीलता में विश्वास पैदा करना [. "अदालत की अवमानना के मामले में अदालत द्वारा लागू अनुशासन का उद्देश्य

अदालत या न्यायाधीश के व्यक्ति की गरिमा को सही साबित करना नहीं है, बल्कि न्याय के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है।" [बोवेन, एल. जे.-हेल्मोर बनाम स्मिथ (2), (1886) 35 सीएचडी 449 पी।455 (सी. ए.)]], हालांकि वे अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से प्रवाहित नहीं होते हैं और न ही होना चाहिए।उन्हें अधिक निश्चित नींव पर आराम करना चाहिए।नींव है-लोगों का विश्वास और विश्वास कि न्यायपालिका निडर और निष्पक्ष है।"

बी.

सी.

15. कृष्ण अय्यर जे. अपने और भगवती जे. के लिए बोल रहे हैं।

बरदकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयक **7 (**संविधान**)**

पीठ) ने कहा-"65.. हम लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए रेखाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करना चाहते हैं कि इस प्राचीन और अंतर्निहित शक्ति का उपयोग सार्वजनिक न्याय में जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग सार्वजनिक शत्रुता को भड़काने के लिए किया जाएगा जैसा कि स्टार चैंबर ने किया था।अनिश्चित सीमाओं के साथ एक अस्पष्ट और भटकती अधिकारिता, अभियोजक को दंडित करने की एक संवेदनशील और संदिग्ध शक्ति, एक ऐसा कानून जो सच्चाई और सार्वजनिक भलाई की परवाह किए बिना इसे प्रकाशित करना एक अपराध बनाता है और संक्षिप्त मनु दोषसिद्धि की प्रक्रिया की अनुमति देता है, अनजाने में नागरिक स्वतंत्रता पर खाई बना सकता है और इसलिए अवमानना शक्ति से संबंधित विशेष अधिकार क्षेत्र और न्यायशास्त्र को विचार-विमर्श के साथ चित्रित किया जाना चाहिए और उच्च न्यायिक क्षेत्रों द्वारा गंभीर चौकसी के साथ संचालित किया जाना चाहिए।इसलिए यह है कि हमारी स्वतंत्रता के पैलेडियम के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक अपमान के खिलाफ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सतर्कता से रक्षा करनी चाहिए-एक नाजुक लेकिन पवित्र कर्तव्य जिसका निर्वहन सहिष्णुता और उच्च व्यवस्था के अलगाव की मांग करता है।"

डी.

ई.

एफ.

जी.

16. डब्ल्यू. बी. प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाम एस. के. मोनोबोर

हुसैन **8, (**दो**-**न्यायाधीशों की पीठ**)** ने कहा है कि इस विषय **(**अवमानना**)** पर इस न्यायालय के आदेश का सार स्पष्ट है।अदालत के पास समय है

7 (1974) 1 एससीसी 374 8 (2012) 11 एससीसी 761 ए

एच.

1181

गोस्तो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस। [संजय करोल, जे।] ए.

और फिर से जोर देकर कहा कि न्यायालयों द्वारा प्राप्त अवमानना क्षेत्राधिकार केवल मौजूद न्यायिक प्रणाली के बहुमत को बनाए रखने के उद्देश्य से है।इस शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को अतिसंवेदनशील या भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए।बचाव उपयोग के सिद्धांत को प्रशांत भूषण में दोहराया गया था, पुनः 9 में

एक निर्दिष्ट कानून **17** के तहत सजा के पहलू पर।महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम में सात न्यायाधीशों की पीठ।

बी.

एम. वी. दाभोलकर 10 ने बार काउंसिलों की भूमिका और उनके भीतर निहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अवलोकन किया था -

सी.

“24. योजना और अधिनियम के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन यह देखने के लिए प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि भारतीय बार काउंसिल द्वारा निर्धारित पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का पालन और संरक्षण किया जाए।इसलिए बार काउंसिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कदाचार के मामलों पर विचार करती है।अधिवक्ता परिषदों को अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करनी है।बार काउंसिल एक निगमित निकाय है।अनुशासनात्मक समितियों का गठन बार काउंसिल द्वारा किया जाता है।बार काउंसिल अपनी अनुशासन समिति के समान निकाय नहीं है।पेशेवर आचरण के मानकों और अधिवक्ताओं के शिष्टाचार के संबंध में बार काउंसिल के प्रमुख कार्यों में से एक अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करना है और यदि बार काउंसिल के पास यह मानने का कारण है कि कोई अधिवक्ता पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी रहा है तो वह मामले को निपटाने के लिए अपनी अनुशासनात्मक समिति को भेजेगा।एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कोई भी वादी और जनता का कोई भी सदस्य किसी अधिवक्ता के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है।यह राज्य की बार काउंसिल है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करती है।”

डी.

ई.

एफ.

(बल दिया गया)

18. इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ

जी.

भारत, (1998) 4 एस. सी. सी. 409 (पाँच-न्यायाधीशों की पीठ) ने स्पष्ट रूप से कहा कि-"39। वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि जैसे किसी भी पेशेवर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित करना, जब ऐसा कोई पेशेवर हो।

9 (2021) 3 एससीसी 160 10 (1975) 2 एससीसी 702

एच.

किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया जाता है, यह एक मान्यता प्राप्त या स्वीकृत सजा नहीं है जिसे रिकॉर्ड की अदालत या तो सामान्य कानून के तहत या वैधानिक कानून के तहत किसी अन्य मान्यता प्राप्त दंड के अलावा अवमानना करने वाले पर लगा सकती है।"

(जोर दिया गया) 19.अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें निर्धारित दंड साधारण कारावास है, जो छह महीने से अधिक नहीं है या 2,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं है।

बी.

सी.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अवमानकर्ता को दी गई सजा पूरी तरह से अधिनियम के लिए विदेशी है और इसलिए, अस्थिर है।अदालत ने इस तरह की सजा देने में अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के वैधानिक पाठ की पूरी तरह से अवहेलना की, जो इसके तहत दी जा सकने वाली सजा के संबंध में बहुत स्पष्ट है।

डी.

21. न्यायालय की अवमानना का दोषी एक चिकित्सक पेशेवर कदाचार के लिए भी दोषी हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के अवमाननापूर्ण आचरण की गंभीरता/प्रकृति पर निर्भर करेगा। हालाँकि, वे अपराध एक-दूसरे से अलग और अलग हैं।पहला न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा विनियमित है और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधिकार क्षेत्र में है। 22.खंड पीठ ने विवादित फैसले में इस मुद्दे पर विचार या चर्चा नहीं की और न ही एकल न्यायाधीश द्वारा विषय की अवमानना की कार्यवाही में कोई अंतिम निर्णय लिया गया।

ई.

एफ.

23. तत्काल अपील में उठाए गए प्रश्न का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया जाता है।

24. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि संबंधित भवन के पिछले हिस्से में लगभग 250 मिमी के अपवाद के साथ आवश्यक विध्वंस किया गया है, क्योंकि इसे हटाने से कानूनी रूप से निर्मित भवन असुरक्षित हो जाता।बचे हुए अनधिकृत निर्माण के संबंध में, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए।

जी.

एच.

1183

गोस्तो बिहारी दास बनाम दीपक कुमार सान्याल और ओआरएस। [संजय करोल, जे।]

न्यायालय ने कहा कि मौजूदा भवन की मजबूती की रक्षा के लिए उपचारात्मक निर्माण और अनधिकृत निर्माण के परिणामस्वरूप विध्वंस को उचित समय के भीतर पूरा किया जाएगा।

25. नतीजतन, 2022 के एम. ए. टी. No.67 में न्यायालय की निम्नलिखित खंड पीठ के निर्णय और एकल न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय, (सर्किट बेंच और जलपाईगुड़ी) के आदेश और 11,12 और 14 जुलाई 2022 के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए अपीलार्थी का लाइसेंस पुनर्जीवित किया जाता है।

बी.

26. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

सी.

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.